मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 23.09.2025 को आयोजित 191वीं बैठक का कार्यवृत्त

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 191वीं बैठक श्री अशोक कुमार सिंह, महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23 सितंबर, 2025 (मंगलवार) को मुख्यालय में आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ में श्री रत्नेश कुमार गौतम, बीमा आयुक्त (राजभाषा) ने महानिदेशक महोदय का स्वागत करने के साथ सभी सदस्यों का अभिनंदन करते हुए अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी।

बीमा आयुक्त (राजभाषा) महोदय ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि इस बैठक में कुछ नए सदस्यों का आगमन हुआ है, जिनमें चिकित्सा और उप चिकित्सा आयुक्त भी हैं। अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी नए सदस्यों से अपना परिचय देने का आग्रह किया।

तत्पश्चात बीमा आयुक्त (राजभाषा) ने सदस्य सचिव श्री श्याम सुंदर कथूरिया, निदेशक (राजभाषा) से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया। सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैठक की सभी मदों पर बिन्दुवार चर्चा शुरू की।

मद संख्या 1	**विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 190 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा बैठक में हुए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा।**

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि पिछली बैठक दिनांक 30.06.2025 को आयोजित की गई थी। सभी सदस्यों एवं शाखाओं को बैठक का कार्यवृत्त यथासमय परिचालित कर दिया गया था। बैठक में हुए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण समिति के समक्ष रखा गया। अनुवाद अधिकारियों के लिए लेपटॉप की आपूर्ति के निर्णय के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सभी पात्र कार्मिकों हेतु नई नीति के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

सदस्य सचिव ने कार्यवृत्त के संबंध में सदस्यों से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए। किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए अनुरोध किया गया। अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन सहित सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2	**दिनांक 30.06.2025 को समाप्त अवधि की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।**

सदस्य-सचिव ने शाखावार बार चार्ट के माध्यम से **'क'**, **'ख'** तथा **'ग' क्षेत्र** के साथ हिंदी पत्राचार में प्राप्त प्रतिशतता की समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने अनुरोध किया कि जिन शाखाओं का पिछली तिमाही की तुलना में हिंदी पत्राचार प्रतिशत कम रहा है, वे लक्ष्यानुसार पत्राचार करें।

सदस्य-सचिव ने बताया कि जून, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान मुख्यालय द्वारा **'क'** क्षेत्र के साथ 97.46%, **'ख'** क्षेत्र के साथ 97.88% और **'ग'** क्षेत्र के साथ 97.72% पत्राचार हिंदी में किया गया। यद्यपि **'ग'** क्षेत्र के साथ लक्ष्यानुरूप पत्राचार किया गया, तथापि यह नोट किया गया कि **'क'** एवं **'ख'** क्षेत्र के साथ पत्राचार 100% किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय ने संबंधित शाखाओं को पत्राचार के लक्ष्य को सुधारने के निदेश दिए। आगे, सदस्य-सचिव ने भी कहा कि आवश्यकता होने पर राजभाषा शाखा की सहायता ली जाए, परंतु मूल पत्राचार हिंदी में ही किया जाए। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी व अधिकारी अपना 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में ही करें।

मद संख्या 3	**फाइलों पर टिप्पणियां/कार्य।**

फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखे जाने पर अवगत करवाया गया कि आलोच्य तिमाही के दौरान फाइलों पर कुल 59811 टिप्पणियों में से 55829 टिप्पणियां हिंदी में लिखी गई और टिप्पण 93.34% रहा। सदस्य-सचिव ने बताया कि यद्यपि इस अवधि में हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तथापि हमें इसे और आगे बढ़ाना है। उन्होंने अवगत कराया कि ई-ऑफिस में संपूर्ण कार्य ई-टूल्स के माध्यम से हिंदी में किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अब कृत्रिम बुद्धिमता से काम निष्पादित किया जा रहा है। निगम के स्वास्थ्य कार्यक्रम 18 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इन्हें सभी भाषाओं में सुना भी जा सकता है। सदस्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार के कंठस्थ, अनुवादिनी और भाषणी टूल्स से सरकारी कामकाज तेजी से हिंदी में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें। फाइलों में टिप्पणियां हिंदी में लिखें।

[कार्रवाई—मुख्यालय के सभी कार्मिक]

मद संख्या 4	**राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन।**

सदस्य-सचिव ने धारा 3(3) के विषय में जानकारी साझा करते हुए समिति को बताया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में सामान्य आदेश, अनुदेश, परिपत्र, ज्ञापन आदि के अलावा अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर फार्म, नोटिस, संकल्प, नियम, संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात, प्रशासनिक रिपोर्टें आदि सम्मिलित हैं। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों की सूची पीपीटी के माध्यम से सदस्यों को दिखाई गई। यह भी अवगत कराया गया कि इस धारा के अंतर्गत सभी दस्तावेजों को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी किया जाना अनिवार्य है। सदस्य-सचिव ने बताया कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मुख्यालय में आलोच्य तिमाही के दौरान धारा 3(3) के अंतर्गत सभी 538 कागजात द्विभाषी जारी किए गए। सदस्य-सचिव ने सभी अधिकारियों से धारा 3(3) का अनुपालन आगे भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

[कार्रवाई—मुख्यालय की संबंधित शाखाएं]

मद संख्या 5	**वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में चर्चा।**

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए अप्रैल माह से लागू एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम 29 अप्रैल, 2025 को बीमा आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर से सभी निगम कार्यालयों के लिए जारी किया गया है। हिंदी पत्राचार के लक्ष्य **क, ख और ग** क्षेत्र के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम में ही दिए जाते हैं। इसमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक होता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में कुछ बढ़ोतरी की गई है।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि मुख्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हमारा मूल हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निम्नानुसार है :-

'क' क्षेत्र से **'क'** क्षेत्र के साथ 100% मूल पत्राचार

'क' क्षेत्र से **'ख'** क्षेत्र के साथ 100% मूल पत्राचार

'क' क्षेत्र से **'ग'** क्षेत्र के साथ 70% मूल पत्राचार

अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखाओं को निदेशित किया कि वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित मदों/लक्ष्यों का अनुपालन करें।

[कार्रवाई—मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 6	निर्धारित जांच-बिंदुओं पर चर्चा।

बैठक में जांच बिंदुओं की सूची प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित की गई। सदस्य-सचिव ने जांच बिंदुओं को समिति के समक्ष पढ़ा तथा विस्तार से प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की। सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निदेशानुसार कार्यालयों में जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यालय में जांच बिंदु अप्रैल 2025 को परिचालित किए गए। सदस्य-सचिव ने सभी सदस्यों से जांच बिंदु के प्रति उत्तरदायी रहने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी जांच बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए सभी को अनुपालन करने के निदेश दिए।

[कार्रवाई—मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 7	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन।

सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं। इस संबंध में उन्होंने राजभाषा नियमावली 1976 के नियम-5 के विषय में अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों से इसका अनुपालन गंभीरता से करने का निदेश दिया। इस संबंध में सूचित किया गया कि तिमाही के दौरान नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में कुल 11108 पत्र प्राप्त हुए और उनमें से 7860 पत्रों के उत्तर हिंदी में भेजे गए, जबकि 3248 पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। इस प्रकार नियम 5 का उल्लंघन नहीं किया गया।

[कार्रवाई– मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 8	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 का अनुपालन।

सदस्य-सचिव ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 पर चर्चा की। सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि **'क'** क्षेत्र में **'क'** और **'ख'** क्षेत्रों से प्राप्त 7651 अंग्रेजी पत्रों में से 5493 पत्रों के उत्तर हिंदी में और 82 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए जबकि 2076 पत्रों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे। सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि राजभाषा नियमावली 1976 के नियम-3 के अंतर्गत 'क' और 'ख' क्षेत्रों में कोई पत्राचार अंग्रेजी में न किया जाए।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने जिन शाखाओं के द्वारा अनुपालन पूर्ण करने में जो कमी रह गई, उसके लिए विशेष जागरूक रहने के निदेश दिए।

[कार्रवाई– मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 9	प्रशिक्षण कार्यक्रम पर चर्चा

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि यथापेक्षित हिंदी भाषा, आशुलिपि, टंकण प्रशिक्षण अनिवार्य हैं और इसका लक्ष्य शीघ्र पूर्ण किया जाना है। मुख्यालय के अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाना है।

सदस्य सचिव ने हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु नमित कार्मिकों को नियमित रूप से भेजने के लिए सभी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुपालन का अनुरोध किया गया।

सदस्य सचिव ने यह भी कहा कि मुख्यालय की सभी शाखाएं राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट है। अतः सभी अपना सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने का श्रम करें।

मद संख्या 10	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

- सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अवगत कराया कि शाखाओं द्वारा विलंब से प्राप्त रिपोर्ट एवं हिंदी में कामकाज के लिए स्वयं शाखाधिकारियों को ध्यान देना होगा।
- सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि पुस्तकालय में उपलब्ध हिंदी पुस्तकों के बारे में अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्ण जानकारी नहीं है। अतः उपलब्ध हिंदी पुस्तकों की सूची तैयार कर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित की जानी चाहिए।
- महानिदेशक महोदय ने बैठक में निदेश दिया कि पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकें खरीदने हेतु हिंदी साहित्य के जानकार और समझ रखने वाले सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिए।
- श्री ए.के. साहू, बीमा आयुक्त ने सदस्य सचिव से प्रत्येक तिमाही बैठक में हिदी की पुस्तकें वितरित करने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय ने अगली बैठक में पुस्तकें दिए जाने के निदेश दिए।
- यह भी सुझाव दिया गया कि ई-ऑफिस में यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम द्विभाषी में न हो तो वे सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी शाखा से संपर्क करके द्विभाषी करवा लें।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 191 वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निदेश, किए निर्णय तथा अपेक्षित कार्रवाइयां :

1.	धारा 3(3) के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी किए जाएं।	**कार्रवाई—** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
2.	हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों से हिंदी टंकण की सेवाएं ली जाएं।	**कार्रवाई—** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
3.	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं।	**कार्रवाई—** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
4.	मूल पत्राचार हिंदी में किया जाए तथा लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।	**कार्रवाई—** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
5.	प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी समस्त कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें।	**कार्रवाई—** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
6.	अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से हिंदी में ही कार्य किया जाए।	**कार्रवाई—** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
7	सभी शाखाएं निर्धारित समय तक या उससे पूर्व राजभाषा शाखा में हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	**कार्रवाई—** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
8	'क' क्षेत्र में 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में ही दिए जाएं।	**कार्रवाई—** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
9.	विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।	**कार्रवाई—** **विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य**
10	पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकें खरीदने हेतु समिति का गठन।	**कार्रवाई—** **राजभाषा शाखा, मुख्यालय**

अंत में महानिदेशक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

Digitally signed by
Sham Sunder Kathuria
Date: 16-10-2025
20:22:18

(श्याम सुंदर कथूरिया)

सदस्य-सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 23.09.2025 की 191वीं बैठक में उपस्थित अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सूची।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/सुश्री)	पदनाम	
1.	अशोक कुमार सिंह	महानिदेशक	अध्यक्ष
2.	रत्नेश कुमार गौतम	बीमा आयुक्त (रा.भा)	सदस्य
3.	दीपक जोशी	बीमा आयुक्त	सदस्य
4.	अनिल कुमार साहू	बीमा आयुक्त	सदस्य
5.	रवि प्रकाश	अपर आयुक्त	सदस्य
6.	डॉ. गुंजन गुप्ता	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
7.	डॉ. सपना मित्तल	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
8.	डॉ. भैरवी देशमुख	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
9.	डॉ. आर. श्रीनिवासन	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
10.	डॉ. मोना वर्मा	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
11.	डॉ. विजय डेका	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
12.	परीक्षित सिंह	निदेशक	सदस्य
13.	विजय बोकोलिया	संयुक्त निदेशक	सदस्य
14.	गिरीश कुमार केन	संयुक्त निदेशक	सदस्य
15.	टी.के. चौधरी	संयुक्त निदेशक	सदस्य
16.	मनोज कुमार यादव	संयुक्त निदेशक	सदस्य
17.	ओरिन्दम भौमिक	संयुक्त निदेशक	सदस्य
18.	जी. गांगटे	संयुक्त निदेशक	सदस्य
19.	विजय आनंद	संयुक्त निदेशक	सदस्य
20.	चन्द्रभानु झा	संयुक्त निदेशक	सदस्य
21.	आशीष शंकर	संयुक्त निदेशक	सदस्य
22.	दिग्विजय प्रसाद सिन्हा	संयुक्त निदेशक	सदस्य
23.	बृजेश	संयुक्त निदेशक	सदस्य
24.	पी.एन. बोईपी	संयुक्त निदेशक	सदस्य
25.	सविता आर. चन्द्र	संयुक्त निदेशक	सदस्य
26.	पंकज दहिया	उप निदेशक	सदस्य

27.	शैलेंद्र कुमार मिश्र	उप निदेशक	सदस्य
28.	जानकी सिंह	उप निदेशक	सदस्य
29.	खुमेश	उप निदेशक	सदस्य
30.	काशी प्रसाद पाण्डेय	उप निदेशक	सदस्य
31.	विजय कुमार	उप निदेशक	सदस्य
32.	दिव्या यादव	उप निदेशक	सदस्य
33.	नरेन्द्र यादव	उप निदेशक	सदस्य
34.	सुनीता अरोड़ा	उप निदेशक	सदस्य
35.	चंदन प्रभाकर	उप निदेशक	सदस्य
36.	श्रेयस सिंह	उप निदेशक	सदस्य
37.	कल्याण सहाय मीना	उप निदेशक	सदस्य
38.	रोजलीन हेमरोम	सहा.निदेशक (राजभाषा)	सदस्य
39.	त्रिरत्न	उपनिदेशक (राजभाषा)	सदस्य
40.	श्याम कुमार	संयुक्त निदेशक(राजभाषा)	सदस्य
41.	श्याम सुंदर कथूरिया	निदेशक(राजभाषा)	सदस्य सचिव

उपर्युक्त के अतिरिक्त राजभाषा शाखा के कार्मिक/अधिकारी भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित रहे।